न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 29/2024
(GCMS 2024/107)(212657884543803)

श्री अभिमन्यु सिंह पुत्र श्री मनजीत सिंह निवासी 6 सी ब्लॉक, वार्ड नं. 14, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर पिन – 335073 (मोबाईल नं. 87643–34544)

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अभिमन्यु सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री अभिमन्यु सिंह ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के समक्ष दिनांक 08.04.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी। जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी अभिमन्यु ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.04.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. From 1 January 2023 to till the time your write your response. How many chalans had been cut or loudspeakers seized of religious institutions under the Noise Pollution Act 2000 for contribution in noise pollution in Sri karanpur Ploice station are. Please proide the certified copy of your response.
2. From 1 January 2023 to till the time you write your response. How many complaints of noise pollution had been received by police station and how many chalans had been cut or loudspeakers seized under the Noise Pollution Act 2000 for contribution of noise pollution in Sri karanpur Police station are. Please provide the certified copy of your response.
3. From 1 January 2023 to till the time you write response. How many organizers or organization had applied for the use of loudspeakers under the Noise Pluution Act 2000 in Sri karanpur Police station .

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:49:27 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2024/92 दिनांक 24.06.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक द्वारा अपीलार्थी के अपील पत्र के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी मय अपने कार्यालय का सम्बन्धित रिकॉर्ड आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु लिखा गया है। उक्त के सम्बन्ध में निवेदन है कि कार्यालय हाजा के पत्रांक आर.टी.आई./2024/51–53 दिनांक 02.05.2024 द्वारा पुलिस उपाधीक्षक वृत, श्रीकरणपुर को सूचना के अधिकारी 2005 के 6(3) के तहत ऑनलाईन अपील 212657884543803 अंतरित कर दी गई है तथा अपीलार्थी अभिमन्यु सिंह को भी अवगत करवा दिया गया है। सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
(श्योराम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2024/92 दिनांक 24.06.2024 से प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र पुलिस उपाधीक्षक, वृत श्रीकरणपुर को स्थानान्तरित कर दिया था और अपीलार्थी को भी सूचित किया जा चुका है। अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को पुलिस उप उपाधीक्षक, वृत श्रीकरणपुर **के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है।** इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचना हेतु पुलिस उपाधीक्षक, वृत श्रीकरणपुर से प्राप्त कर सकता है और सूचना प्राप्त न होने की स्थिति की पुलिस उपाधीक्षक, वृत श्रीकरणपुर के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:49:27 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर